



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAA

पी. सरदार सिंह /P. Sardar Singh
वित्ताधिकारी (कार्यवाहक)/ Finance Officer (Acting)

दूरभाष/Phone : + 91-7152230906
ईमेल/Email : fo.mgahv@hindivishwa.ac.in

पत्रांक : 002/आ.रा.पत्रा.सं./2024-25/27/27
दिनांक: 23/05/2025

परिपत्र

GFR Rule 322 को देखते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों कार्यालयों/छात्रावासों इत्यादि के दैनंदिन खर्च के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निम्नानुसार आकस्मिक राशि (Imprest Amount) स्वीकृत की जाती है।

(I)

क्र.सं.	विद्यापीठ कार्यालय का नाम/केंद्र/विभाग	आकस्मिक राशि देय अधिकारी/कर्मि का नाम	स्वीकृति राशि
01	कुलपति सचिवालय	श्री पवन कुमार	35,000/-
02	कुलसचिव कार्यालय	श्री किशोर जाधव	7,500/-
03	वित्त अधिकारी कार्यालय	सुश्री शिल्पा मसराम	7,500/-
04	परीक्षा नियंत्रक कार्यालय	श्री वैभव सुशील	10,000/-

(II)

क्र.सं.	विद्यापीठ कार्यालय का नाम/केंद्र/विभाग	आकस्मिक राशि देय अधिकारी/कर्मि का नाम	स्वीकृति राशि
01	अधिष्ठाता, भाषा विद्यापीठ	प्रो. आनंद पाटिल	5,000/-
02	अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ	प्रो. अवधेश कुमार	5,000/-
03	अधिष्ठाता, संस्कृति विद्यापीठ	प्रो. दिगंबर तंगलवाड	5,000/-
04	अधिष्ठाता, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ	प्रो. हनुमान प्रसाद शुक्ल	5,000/-
05	अधिष्ठाता, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ	प्रो. फरहद मलिक	5,000/-
06	अधिष्ठाता, शिक्षा विद्यापीठ	प्रो. गोपाल ठाकुर	5,000/-
07	अधिष्ठाता, प्रबंधन विद्यापीठ	प्रो. गोपाल ठाकुर	5,000/-
08	अधिष्ठाता, विधि विद्यापीठ	प्रो. जनार्दन कुमार तिवारी	5,000/-
09	विद्यार्थी सेवा एवं नियंत्रण केंद्र/अधिष्ठाता छात्र कल्याण	प्रो. अवधेश कुमार	3,000/-

(III)

क्र.सं.	विद्यापीठ कार्यालय का नाम/केंद्र/विभाग	आकस्मिक राशि देय अधिकारी/कर्मि का नाम	स्वीकृति राशि
01	समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक कार्यालय	---	3,000/-
02	भंडार एवं क्रय विभाग	श्री सचिन हाडके/श्री संदीप राय	10,000/-
03	परिवहन विभाग	श्री राजीव कुमार पाठक	10,000/-
04	डाक विभाग	श्री राजीव कुमार पाठक	10,000/-
05	बा.वि.प. मीडिया लैब	डॉ. रेणु सिंह	5,000/-
06	केंद्रीय पुस्तकालय	श्रीमती मालती चौहान	3,000/-
07	जनसंपर्क कार्यालय	श्री बी. एस. मिरगे	3,000/-
08	स्थापना एवं प्रशासन विभाग	श्री राजेश अरोड़ा	5,000/-
09	लीला विभाग	श्री अंजनी कुमार राय	3,000/-
10	प्रकाशन विभाग	श्री राजेश कुमार यादव	3,000/-
11	वित्त एवं आंतरिक संपरीक्षा कार्यालय	श्री ब्रिजेश पाटिल	5,000/-
12	फादर कामिल बुल्के मेंस	डॉ. संदीप कुमार	30,000/-

कृ.पू.उ.

13	समस्त छात्रावास (प्रत्येक) 01. बिरसा मुण्डा छात्रावास 02. छत्रपति संभाजी महाराज छात्रावास 03. सुखदेव छात्रावास 04. चन्द्रशेखर आझाद छात्रावास 05. राजगुरु छात्रावास 06. फादर कामिल बुल्के छात्रावास 07. भगत सिंह छात्रावास 08. सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास 09. लक्ष्मीबाई केलकर महिला छात्रावास	प्रत्येक छात्रावास वार्डन को राशि रूपये 6,000/- आकस्मिक राशि देय होगी।	6,000/-
14	जनसूचना अधिकारी	डॉ. बालाजी चिरडे	2,000/-
15	राजभाषा विभाग	श्री राजेश कुमार यादव	3,000/-
16	अस्पताल विभाग	डॉ. हेमंत धामट	1,000/-
17	परिसर विकास विभाग	श्रीमती संगीता मालवीय	10,000/-
18	शिशु विहार	श्रीमती संगीता मालवीय	1,000/-
19	स्वामी सहजानंद सरस्वती सग्रहालय	डॉ. श्रीरमन मिश्र	2,000/-
20	सुरक्षा अधिकारी कार्यालय	श्री सुधीर खरकाटे, सुरक्षा अधिकारी	1,000/-
21	निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय	प्रो. आनंद पाटिल	5,000/-
22	नागार्जुन अतिथि गृह मेस	डॉ. राजेश्वर सिंह	10,000/-
23	प्रवेश प्रकोष्ठ	श्री हरीशचन्द्र शाह	2,500/-
24	अंतराष्ट्रीय विद्यार्थी सलाहकार	---	2,500/-
25	शिष्टाचार अधिकारी कार्यालय	श्री राजेश कुमार यादव	5,000/-
26	IQAC कार्यालय	डॉ. राजेश लेहकपुरे	3,000/-
27	क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता	डॉ. अमित राय, प्रभारी	10,000/-
28	क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज	प्रो. अखिलेश कुमार दुबे	15,000/-
29	सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी मराठी भाषा एवं दर्शन केंद्र रिद्धपुर (अमरावती)	डॉ. नीता मेथ्राम, प्रभारी	5,000/-
30	खेल विभाग	डॉ. अनिकेत अम्बेकर, प्रभारी	3,000/-
31	परिसर विकास विभाग	डॉ. एम. एम. मंगोडी, प्रभारी	40,000/-
32	विधि प्रकोष्ठ	श्री मनोज द्विवेदी	10,000/-

नोट : आकस्मिक राशि उपयोग किए जाने के संबंध में आग्रह है कि, निम्न सुझाव पर ध्यान दिया जाए -

- उक्त आकस्मिक राशि का भुगतान एवं समायोजन हेतु कार्यालयादेश क्रमांक 002/2023-24/का.आ./25/307, दिनांक 21/03/2025 का पालन किया जाए।
- सभी से अनुरोध है कि, विश्वविद्यालय में लगे वाटर कुलर के पानी का ही उपयोग करें।
- क्रय एवं भंडार विभाग से ही स्टेशनरी प्राप्त करें तथा Capital nature के Fan/Printer इत्यादि आकस्मिक राशि से न खरीदें।
- बैठक हेतु चाय, नास्ता बिलों के भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ही बिलों को प्रस्तुत किया जाए।
- Estimate बिल भुगतान हेतु मान्य नहीं होंगे।
- समायोजन के समय बिलों को सत्यापित करना अनिवार्य है।
- समायोजन हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(पी.सरदार सिंह)

प्रति (ई-मेल द्वारा) :

1. माननीय कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. उपरोक्त सभी संबंधित विभाग
4. लीला विभाग (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
5. रक्षित पत्रावली।